33

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

145/2021/2025 समरवीर सिंह वनाम रतन सिंह

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	2021/145 श्री वी. एल. शर्मा श्री	

समरवीर सिंह बनाम रतन सिंह वगैरह

25.11.21 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या –1 की ओर श्री चन्द्रभूषण सिंह उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष ने बताया कि अपील में शेष रेस्पोडेन्टस की तलबी हेतु समय लगेगा इसलिए प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम व अपील पर बहस सुनी जावें।

प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर अभिभाषक उभयपक्ष को सुना गया। अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गयी बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में मियाद के कारण संतोषजनक होने के कारण प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात अपील पर अभिभाषक उभयपक्ष को सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील निवेदन किया कि अपीलार्थी/ प्रार्थी के पिता नाथू सिंह पुत्र कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी माधोपुरा तहसील दूदू द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.09.2019 को वाद बाबात् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम पेश किया तथा वाद के कथनानुसार प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि खाता संख्या 65 के आराजी कुल किता 89 कुल रकबा 53.07 है0 एवं ,खाता संख्या 136 के खसरा नम्बर 629, 632 कुल किता 2 कुल रकबा 0.24 है0 ग्राम माधोपुरा तहसील दूदू स्थित है। वादकारण अंकित कर अधीनस्थ न्यायालय से बेचान रहन, हस्तातंरण नहीं करने तथा राजस्व रेकार्ड, मौके की यथास्थिति बनाये रखनें व कच्चा पक्का निर्माण नहीं करने का अनुतोष चाहा जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09.2019 को जवाब प्रस्तुत किये जाने तक जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये गये। दिनांक 05.01.2021 को अप्रार्थी संख्या 01, 02 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया परनतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अन्तरिम स्थगन पर कोई विवेचन नहीं कर स्थगन की अवधि नहीं बढ़ाई गयी जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि कानूनन आदेश 39 नियम 3 (1) जा.दी. के तहत् एक माह में अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत अनावश्यक तारीख पेशियाँ बढ़ाई गयी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद के निर्णय तक स्थगन जारी किया जाना चाहिए था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.09.2019, प्रार्थना पत्र संख्या 54/2019 बउनवानी नाथूसिंह बनाम रतनसिंह में पारित आदेश "जवाब प्रस्तुत किये जाने तक" अपास्त फरमाया जाकर "अग्रिम आदेश तक राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने व अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 04, 05,06 का हिस्सा मुताबिक अनुतोष प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अनुरूप कब्जे काश्त उपयोग उपभोग कृषि कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने बाबत् पाबंद फरमाया जावें। इस आशय का आदेश बाबत् अधीनस्थ न्यायालयं को निर्देशित किया जाना न्यायोचित है।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र निवेदन किया अपीलाधीन आदेश केवल मात्र जवाब प्रस्तुत किये जाने तक ही है और इस प्रकार एक पक्षीय पारित आदेश अन्तरिम आदेश है तथा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आवेदन पर पारित अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अपील किये जाने का प्रावधान नही है। इस सम्बन्ध में 2013(1) आर.आर.टी. पेज 165(हाई

लगातार

55

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

1405/2019/225

तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

पेशी — श्री वी.एल.शर्मा — श्री पद्मभूषण सिंह

लगातार

कोर्ट), 2015 आर.आर.टी.पेज 96, 2012(1) आर.आर.टी. पेज 283, 2014 आर.आर.टी. 345(एल.बी.) के फैसलो में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय और माननीय राजस्व मण्डल अपना अभिमत प्रकट किया है, इसके अलावा राजस्व मण्डल ने राजस्थान के सभी राजस्व अपील प्राधिकारी को इस सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी कर रखें है कि निश्चित तारीख तक पारित अस्थायीं निषेधाज्ञा आदेश के विरूद्ध अपील चलने योग्य नहीं होने से ऐसी अपीलों को ग्रहण नहीं किया जावें। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमायी जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 11.09.2019 को "अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से जवाब प्रस्तुत किये जाने तक पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के पैरा संख्या 02 में वर्णित के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।" तत्पश्चात प्रकरण में अप्रार्थीगण उपस्थित हो चुके है तथा प्रार्थना पत्र बहस हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। चुँकि यह अपील अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के विरूद्ध प्रस्तुत की है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद साक्ष्य व सुनवाई के द्वारा किया जाना है। न्यायहित में व पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए अपील को आंशिक स्वीकार कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में अपीलांट एवं उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियमं का गुणावगुण पर उक्त आदेश से 30 दिवस में आवश्यक रूप से निर्णित करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर